न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 209/2012

उनवान

1 श्रीमति मकबूल बानो बेवा राजू मो0 पिनारा, नि0खेजडी तह0 हुरडा।
2 सद्दाम हुसैन पिता राजू मोहम्मद, ना.बा. जरिये माता संरक्षक श्रीमति मकबूल बानेा बेवा राजू मोहम्मद नि0 खेजडी तहसील हुरडा ।
3 शहजाद हुसैन पिता स्व. राजू मोहम्मद पिनारा, , ना.बा. जरिये माता संरक्षक श्रीमति मकबूल बानेा बेवा राजू मोहम्मद, निवासी खेजडी ।
4 इस्लाम मोहम्मद पिता राजू मोहम्मद पिनारा, , ना.बा. जरिये माता संरक्षक श्रीमति मकबूल बानेा बेवा राजू मोहम्मद निवासी खेजडी ।
5 सुश्री काली बानो पुत्री राजू मो0 पिनारा, , ना.बा. जरिये माता संरक्षक श्रीमति मकबूल बानेा बेवा राजू मोहम्मद नि0 खेजडी तहसील हुरडा ।
6 सुश्री नबीना बानो पुत्री राजू मो0 पिनारा, , ना.बा. जरिये माता संरक्षक श्रीमति मकबूल बानेा बेवा राजू मोहम्मद नि0 खेजडी तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1 मिश्री खॉ पिता बगतावर मुसलमान , निवासी खेजडी तहसील हुरडा।
2 रफीक पिता मिश्री खॉ पिनारा, निवासी खेजडी तहसील हुरडा ।
3 श्रीमति लाली बानू पुत्री मिश्री खॉ पत्नि सतार मोहम्मद पिनारा, निवासी खेजडी ,हाल मुकाम चन्दा कॉलोनी बिजयनगर
4 श्रीमति छोटिया बानू पुत्री मिश्री खॉ पत्नि जहीर खॉ पिनारा निवासी खजडी हाल मुकाम खातोला तहसील आसीन्द ।
5 श्रीमति मदीना बानू पुत्री मिश्री खॉ पिनारा पत्नि हमीद पिनारा निवासी खेजडी हाल मुकाम बान्दनवाडा , जिला– अजमेर ।
6 श्रीमति हमीदा बानू पत्नि समसुदीन पिनारा , दौलतगढ तह0 आसीन्द।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्रीमति निर्मला जैन — वकील वादी ।
श्री मोहम्मद निशार — वकील प्रतिवादी 1, 6

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53, 88, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक– 25.06.2018

1– वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा दांतडा तहसील हुरडा में वादीगण संख्या– 1 की सास एवं वादीगण सख्या– 2 से लगायत 6 की दादी एवं प्रतिवादी संख्या– 01 की पत्नि

Scanned by CamScanner

एवं प्रतिवादीगण संख्या– 2 से लगायत 05 की माता श्रीमति सायरा बानू पत्नि मिश्री खॉ पिनारा के सम्मिलित खाता संख्या– 627 की आराजी नम्बर– 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा आराजीयात स्थित थी ।

2– खातेदारन श्रीमति सायरा बानू के पुत्र राजू खॉ पिता मिश्री खॉ का स्वर्गवास दिनांक 03.03.2004 को ग्राम खेजडी में हो गया था जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खेजडी से प्राप्त किया गया जिसकी नकल वादपत्र के साथ संलग्न है । तथा वादीगण मृतक के विधिक वारिसान होने से वादीगण पक्षकार बनाया गया ।

3– मृतका खोतदार श्रीमति सायरा बानू का विरासत से नामान्तकरण संख्या– 2321 दिनांक 23.10.2010 विरासत से सायरा बानू के बजाय प्रतिवादी संख्या– 01 मिश्री खॉ पिता बख्तावर, तथा प्रतिवादी संख्या– 02 से लगायत 05 रफीक, लाली, बानू, छोटिया बानू, मदीना बानू पिता मिश्री खॉ के नाम ही नामान्तकरण खोला गया जबकि वादीगण श्रीमति सायरा बानू के पुत्र राजू मोहम्मद के विधिक वारिसान पत्नि, पुत्र, पुत्री जीवित थे उसके बाद भी उपरोक्त प्रतिवादीगण संख्या– .1 से लगायत 05 राजस्व कर्मचारियों से मिलीभक्त करते हुये उनके नाम ही नामान्तकरण खुलाया गया वादीगण प्रतिवादीगण 01 से लगायत 05 के साथ अपना नाम दर्ज कराने की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है ।

4– उपरोक्त आराजीयात में वादीगण का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या– 01 का 1/6 हक हिस्सा, एवं प्रतिवादीगण संख्या– 02 से लगायत 05 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा तथा इसी हक हिस्से से माफिक फरीकेन सम्मिलित रुप से काबिज चले आ रहे है ।

5– आराजी नम्बर– 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा सम्मिलित खाते में दर्ज होने से इसमें फसल काश्त करने व घास काटने में तथा लगान जमा कराने में काफी परेशानी रहती है इसलिये वादीगण उक्त आराजीयात का माफिक हिस्सा बॅटवारा कराना चाहते है ।

6– वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या– 01 से लगायत 05 की शामलाती खाते की आराजी ग्राम दांतडा तहसील हुरडा में समान हक हिस्सा है । जिसको प्रतिवादीगण 01 से लगायत 05 ने प्रतिवादी नम्बर– 06 श्रीमति हमीदा बानू पत्नि समसुदीन जाति पिनारा निवासी दौतलगढ को विकय पत्र आराजी तादादी 1,00,000/– में दिनांक 04.06.2012 को बैचान पंजियन करवा फरोक्त कर दिया । जबकि कानूनन किसी भी सहहिस्सेदार को संयुक्त आराजीयात को बिना विभाजन कराये बैचान करने का विधिक अधिकार नही है । प्रतिवादीगण 01 से 05 के द्वारा प्रतिवादीया नम्बर– 06 के पक्ष में किया गया बेचान दिनांक 04.06.2012 विधि विरुद्व होकर निष्प्रभावी है ।

7– प्रतिवादीगण संख्या– 01 से 05 द्वारा प्रतिवादीया नम्बर– 06 के हक में किये गये बेचान के आधार पर जबरन बलपूर्वक लाठियों के जोर से कबजा लेने पर आमादा है जबकि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में

Scanned by CamScanner

बिना विभाजन कराये बेचान करने व काबिज होने का अधिकारी नही है । तथा बेचाननामा अवैधानिक होकर वादीगण के मुकावले बेअसर है तथा विक्रय पत्र शून्य प्रभावी है ।

8– वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाप स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में दखल नही करने बावत एवं विधि विरुद्ध बेचान दिनांक 04.06.2012 के आधार पर विक्रय की गई है , जिसके आधार पर प्रतिवादीया नम्बर-- 06 अपने नाम नामान्तकरण खुलाने पर उतारु हैं जिसको रोका जाना न्यायहित में है ।

9 वाद हेतुक आधार प्रतिवादी नम्बर– .1 से लगायत 05 द्वारा प्रतिवादीया नम्बर– 06 के हक में बैचान करने के दिन दिनांक 04.06.2012 से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

10 अन्त में अंकित किया कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाप घोषणात्मक डिक्री इस अमर एवं असर की पारित की जावे कि प्रतिवादी नम्बर– 01 से लगायत 05 के द्वारा प्रतिवादीया नम्बर– 06 के हक में किया गया बैचान दिनांक 04.06.2012 गलत एवं अवैधानिक होकर निष्प्रभावी है । एवं माफिक घोषणा राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त की डिक्री पारित की जावें । वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री अमर की पारित की जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नही करें व विधि विरुध बैचान नामा दिनांक 0406.2012 के आधार पर प्रतिवादीया नम्बर– 06 के नाम नामान्तकरण नही खोला जावें एव ना ही आराजीयात से बेदखल करे न अन्य किसी से करावें । आराजी मुतदाविया में वादीगण का 1/6 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या– 01 का 1/6 हिस्सा, तथा प्रतिवादीगण नम्बर– 02 से लगायत 05 का प्रत्येक का 1/6 हक हिस्से से विभाजन की डिक्री आराजी नम्बर– रकबा व लगान की तसरीह से बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमायी जावें ।

11 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 01 से 06 की और से वकालतनामा श्री मोहम्मद निशार एडवोकेट के द्वारा प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 की और से दिनांक 17.09.2012 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 7 के पैरोकारराज के द्वारा औचपचारिक पक्षकार होने से जवाबदावा पेश नही करना चाहा ।

कलेक्टर
गुलाबपुरा
भीलवाड़ा

12 प्रकरण में वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं–1	आया वापपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजी सायरा बानू पत्नि मिश्री खॉ पिनारा के खातेदारी की थी ।	–वादी

Scanned by CamScanner

तनकी नं–2	आया खातेदार सायरा बानो के पुत्र राजू खां पिता मिश्री खां का स्वर्गवास दिनांक 03.03.2004 को हो चूका है ।	–वादी
तनकी नं–3	आया खातेदार सायरा बानो की विरासत का नामन्तकरण 2321 दिनांक 23.10.2010 को प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 05 के नाम ही खोला गया जो विधि विरुद्ध है ।	–वादी
तनकी नं–4	आया वादी मृतक खातेदार सायरा बानो के पुत्र राजू खॉ के विधिक वारिसान होने से वह अपने नाम खातेदारी हक घोषणा करवाने के अधिकारी है ।	–वादी
तनकी नं–5	आया वादीगण माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी है ।	–वादी
तनकी नं–6	आया प्रतिवादी संख्या– 01 से 05 ने संयुक्त खातेदारी की आराजीयात को प्रतिवादी संख्या– 06 हमीदा बानो को दिनांक 04.06.2012 को किया गया बेचान वादीगण के हक पर नाजायज व बेअसर है ।	–वादी
तनकी नं–7	आया कलम नम्बर– 07 में वर्णित कारणों से वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ।	–वादी
तनकी नं–8	आया जवाबदार वादीगण का प्रतिवादी नम्बर– 01 से 05 के साथ कोई रिश्ता सम्बन्ध नही है ।	–प्रति वादी
तनकी नं–9	आया वादीगण का आराजी मुतदाविया पर कभी भी कब्जा नही रहा है इसलिये कब्जे के अभाव में दावा वादी खारिज योग्य है।	–प्रति वादी
तनकीनं–10	आया वादीगण दिनांक 04.06.2012 को प्रतिवादी नम्बर– 06 के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से कैन्सिल ना करा ले तब तक वादीगण किसी प्रकार की कोई दादरसी प्राप्त करने के लिये अधिकृत नही है ।	– प्रति वादी
तनकीनं–11	अनुतोष ।	

13 वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र की ताहीद में पी.डब्लू.–1 मकबूल बानो, पी.डब्लू.–2 तेजमल के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 , प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 , प्रदर्श –3 नामान्तकरण , प्रदर्श– 4 पंचायत का सजरा, प्रदर्श –5 वारिस का प्रमाण पत्र, प्रदर्श–6 विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति, को प्रदर्श करवाया गया । अन्य कोई गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही करना चाहने से साक्ष्य वादी स्टेज बन्द की गई । प्रतिवादीगण के द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाये गये ।

14 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट दांतडा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने पर वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी मुतदाविया के लिये वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावें । जबकि वकील प्रतिवादीगण का कथन

Scanned by CamScanner

किया कि मृतक खातेदार सायरा बानू के एक पुत्र रफीक व तीन पुत्रीयों लाली बानू, छोटिया, मदीना के अलावा अन्य कोई पुत्र पुत्रीयों नही है । वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया । खातेदार श्रीमति सायरा बानू का विरासत का नामान्तकरण राजस्व विभाग के द्वारा सही तौर पर जॉच पडताल करने के बाद ही खोला गया है । वादीगण का प्रतिवादी नम्बर– 1 से 5 के साथ कोई रिश्ता व सम्बन्ध नही है । प्रतिवादी संख्या– 6 की खरीदशुदा आराजीयात से वादीगण का कोई लेना देना नही है और ना ही उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा है। तथा कब्जे के अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य नही है । वकील प्रतिवादी ने यह भी कथन किया कि वादीगण दिनांक 04.06.2012 को प्रतिवादी संख्या– 6 के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से केन्सिल ना करा ले तब तक वादीगण किसी प्रकार की कोई दादरसी प्राप्त करने के लिये अधिकृत नही है । अन्त में कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को जलील व परेशान करने के लिये तथा आराजीयात को हडपनें के लिये यह झूठा व बेबूनियाद वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है ।

15 मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

16 **तनकी नं.–1** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 मौजा दांतडा तहसील हुरडा को प्रदर्श करवाया गया । जिस अनुसार आराजी नम्बर– 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि सायरा बानू पत्नि मिश्री खॉ पिनारा मुसलमान साकिन खेजडी के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

17 **तनकी नं.–2** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन वादीगण के द्वारा ग्राम पंचायत खेजडी का सजरा तथा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाया गया है । ग्राम पंचायत खेजडी के द्वारा मृतक खातेदार श्रीमति सायरा बानू का सजरा दिनांक 07.06.2012 के अनुसार सायरा बानू के पुत्र राजू मोहम्मद होना तथा मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार राजू खॉ पिता मिश्री खॉ की मृत्यु दिनांक 03.03.2004 को होना प्रकट आया है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

लेक्टर
लाबपुरा
वाड़ा

18 **तनकी नं.–3** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन वादीगण के द्वारा मोजा दांतडा तहसील हुरडा के नामान्तकरण संख्या– 2321 दिनांक 23.10.2010 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई गई है । जिस अनुसार मृतक खातेदार सायरा बानू पत्नि मिश्री खॉ पिनारा मुसलमान के विरासत का नामान्तकरण मिश्री खॉ पिता बगतावर खॉ , रफीक मो0 पुत्र सायरा बानू , लाली

Scanned by CamScanner

बानू , छोटिया बानू , मदीना बानू , पुत्रीयों सायरा बानू पिनारा के पक्ष में ग्राम पंचायत दांतड़ा के द्वारा दिनांक 23.10.2010 को निर्णित किया जाता प्रकट आया है । जबकि मृतक खातेदार सायरा बानू के पुत्र राजू खॉ के विधिक वारिसान वादीगण के नाम भी खुलना चाहिये था। तदनुसार इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

तनकी नं.–4 व 5 इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । यह दोनो तनकीया एक– दूसरे से सम्बन्धि त होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है । चुॅकि वादग्रस्त आराजीयात मृतक खातेदार श्रीमति सायरा बानू के खातेदारी की भूमि है । पत्रावली पर उपलब्ध पंचायत के सजरा दिनांक 07.06.2012 के अनुसार मृतक खातेदार सायरा बानू के मिश्री खॉ, उसके पति और राजू , रफिक मो0 उनके पुत्र तथा लाली, छोटिया, मदीना उनके पुत्रीयॉ होना वर्णित किया गया है । जिसमें से पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्रीमति सायरा बानू के पुत्र राजू खॉ की मृत्यु दिनांक 08.03.2004 को हो चूकी है और पंचायत के सजरे में राजू मोहम्मद के मकबूल बानू पत्नि तथा तीन पुत्र सद्दाम हुसैन, शहजाद हुसैन, इस्लाम मो0 तथा दो पुत्रीया क्रमश काली बानू, नवीना, पुत्री होना भी दर्शाया गया है । ऐसी स्थिति में वादीगण मृतक खातेदार सायरा बानू की भूमि में अपने नाम खातेदार हक घोषणा करवानें के अधिकारी पाये जाते है । तदनुसार इन तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में किये जाते है ।

20 **तनकी नं.–6** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा प्रदर्श–6 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2012 को प्रदर्श कराया गया है। जिस अनुसार मिश्री खॉ पिता बगतावर खॉ , रफीक पिता मिश्री खॉ, लालीबानू, छोटिया बानू, मदीनाबानू, पुत्रीयों मिश्री खॉ पिनारा के द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर– 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि को श्रीमति हमीदा बानू पत्नि समसूदीन पिनारा निवासी दौलतगढ को विक्रय किया जाना प्रकट आया है । उक्त विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 के द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात को प्रतिवादी संख्या– 6 को विक्रय कर दिया गया है जबकि वादग्रस्त आराजीयात में उनका 1/6, 1/6 हिस्सा ही निहित था । अर्थात् प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 के द्वारा वादीगण के हक हिस्से की 1/6 आराजीयात को भी बेचान कर दिया गया है जो वादीगण के हक अधिकारों पर शून्य प्रभावी होने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

21 **तनकी नं.–7** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । चुॅकि पत्रावली पर उपलब्ध हाल राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 है और उनके द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात का विक्रय प्रतिवादी संख्या– 6 को किया जा चूका है । ऐसी स्थिति में यदि उन्हें पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादी संख्या–6 अपने नाम पर विक्रय पत्र के आधार पर

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण खुलवा कर आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देंगे बय बक्षीस बेचान कर देंगे जिससे वादीगण अपने हक हकूक की आराजीयात से महरुम रहकर उन्हें असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा । लिहाजा इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

22 **तनकी नं.–8** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण का उनसें कोई रिश्ता व सम्बन्ध नही है । जबकि ग्राम पंचायत के द्वारा जारी मृतक खातेदार सायरा बानू के सजरा के अनुसार वादीगण सायरा बानू के पुत्र राजू मोहम्मद के पत्नि , पुत्र व पुत्रीयॉं है । तथा प्रतिवादीगण ने भी पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है जिससे यह माना जा सके की वादीगण मृतक खातेदार सायरा बानू के वारिसान ना हो । लिहाजा इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता हैं ।

23 **तनकी नं.–9** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है । जैसा कि उपर तनकीयों में विवेचन किया जा चूका है कि वादग्रस्त आराजीयात मृतक खातेदार सायरा बानू के खातेदारी की भूमि है और वादीगण खातेदार के पुत्र राजू मोहम्मद के विधिक वारिसान है ऐसी स्थिति में भले ही भौतिक रुप से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा ना हो तो भी उनका मौरुसी हक अधिकारों के तहत कब्जा माना जायेगा । ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है ।

24 **तनकी नं.–10** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 6 के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से केन्सिल ना करा ले तब तक वादीगण किसी प्रकार की कोई दादरसी प्राप्त करने के लिये अधिकृत नही है । चुंकि वादीगण के द्वारा इस वाद के जरिये प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 6 के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को केन्सिल कराने हेतु कोई अनुतोष नही चाहा गया है, बल्कि उनके हक पर नाजायज व बेअसर घोषित करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है जो राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

25 **तनकी नं.–11** समग्र रुप से हम पाते है कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड तथा अन्य दस्तावेजाता के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात सायरा बानू पत्नि मिश्री खॉं पिनारा के हक अधिकरों की भूमि रही है। खातेदार सायरा बानू की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण उसके पति मिश्री खॉं तथा उसके पुत्र रफीक, तथा लाली बानू, छोटियाबानू, मदीनाबानू के नाम ही अधीनस्थ न्यायालय ग्राम

Scanned by CamScanner

पंचायत दांतडा के द्वारा निर्णित किया गया है । जबकि मृतक खातेदार सायरा बानू के एक पुत्र राजू मोहम्मद भी था, जिसकी मृत्यु सायरा बानू की मृत्यु से पूर्व ही हो जाने से उसके नाम नामान्तकरण नही खुला गया है , जबकि वादीगण सायरा बानू के पुत्र राजू मोहम्मद के वारिसान होने से उनके नाम भी समान हक हिस्से से नामान्तकरण खुलना चाहिये था । इस गलत नामान्तकरण से प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 के द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या– 6 को विक्रय जा चूका है जो वादीगण के 1/6 हक हिस्से तक शून्य प्रभावी है । साथ ही इस वाद की सम्पूर्ण तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में हो जाने से भी इस वाद का निर्णय हो जाता है लिहाजा दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा दांतडा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 416 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि में वादीगण को 1/6 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के हक हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप करने करानें से रुके रहे । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट दांतडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner